राजस्थान सरकार
कार्मिक (क–2) विभाग

क्रमांकः– प. 10(4)कार्मिक/क–2/2023–08017 जयपुर, दिनांक : 04-04-2025

1. समस्त अति0 मुख्य सचिव/प्रमुख शासन सचिव/शासन सचिव
2. समस्त विभागाध्यक्ष (संभागीय आयुक्त एवं जिला कलक्टर्स सहित)

परिपत्र

विषयः– सभी संवर्गो एवं पदों की वरिष्ठता सूची जारी करने एवं नियमित डीपीसी आयोजित किए जाने के संबंध में।

सभी सेवा नियमों में वरिष्ठता निर्धारण एवं पदोन्नति संबंधी विहित प्रावधानान्तर्गत विभिन्न पद/संवर्गो की प्रत्येक वर्ष एक अप्रेल की स्थिति में वरिष्ठता सूची तैयार कर प्रसारित करना एवं रिक्तियों की उपलब्धता के आधार पर विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक आयोजित कर पदोन्नति संबंधी कार्यवाही किया जाना आवश्यक है। कार्मिक विभाग के परिपत्र दिनांक 26.08.2023 द्वारा समयबद्ध रूप से डीपीसी आयोजित किये जाने के संबंध में निर्देश जारी किये गये थे, जिसके तहत 01 अप्रेल की स्थिति में अस्थाई वरिष्ठता सूचियों का प्रकाशन 01 जनवरी को किया जाकर, 01 अप्रेल को अन्तिम वरिष्ठता सूची जारी करना एवं 31 मई तक पदोन्नति की कार्यवाही पूर्ण करना आवश्यक है।

राज्य सरकार की बजट वर्ष 2025–26 की घोषणा के अनुसार प्रस्तावित Integrated Human Resource Management System(IHRMS) के द्वारा डीपीसी/पदोन्नति संबंधी सुविधा प्रदान की जायेगी, जिसमें डीपीसी हेतु आवश्यक सभी प्रक्रियाओं यथा : वरिष्ठता सूची का प्रकाशन, अनुशासनात्मक कार्यवाही/फौजदारी प्रकरण/निलम्बन आदि की सूचना, वार्षिक कार्य मुल्यांकन प्रतिवेदन(APAR), अचल संपत्ती विवरण(IPR), संतान संबंधी घोषणा आदि को एकीकृत(Integrated) किया जाना है। इसके लिए समस्त कार्मिकों की यूनिक आई.डी. के रूप में कार्मिक पहचान संख्या (Employee ID) की मार्किंग व मैपिंग आवश्यक है। इसके लिए **वरिष्ठता सूची में सभी कार्मिकों की कार्मिक पहचान संख्या (Employee ID) का अंकन किया जाना है।**

वरिष्ठता सूची के संबंध में यह भी देखा गया है कि निर्धारित प्रारूप के अभाव में विभागों द्वारा प्रकाशित वरिष्ठता सूचियों में एकरूपता नहीं है एवं विभागों द्वारा पृथक–पृथक प्रारूप में वरिष्ठता सूचियों का प्रकाशन किया जा रहा है। अतः वरिष्ठता सूची का एक निर्धारित प्रारूप संलग्न कर निवेदन है कि सभी संवर्गो/पदों की वरिष्ठता सूचियों का प्रकाशन संलग्न प्रारूप में किया जाना सुनिश्चित करावें।

राज्य सरकार के बजट वर्ष 2025–26 में की गई घोषणा की पालना में पदोन्नति हेतु वांछित अनुभव अथवा सेवा अनुभव में शिथिलन दिये जाने हेतु विविध सेवा नियमों में संशोधन संबंधी प्रकरण प्रक्रियाधीन है।

क्रमशः.......(2)

Signature valid
Digitally signed by Krishna Kant Pathak
Designation : Secretary To Government
Date: 2025.04.04 17:00:20 IST
Reason: Approved

अतः समस्त प्रशासनिक विभाग/विभागाध्यक्षों/नियुक्ति प्राधिकारियों को व्यादिष्ट किया जाता है कि सभी संवर्गो/पदों की वरिष्ठता सूचियॉं अविलम्ब जारी करावें एवं जिन संवर्गो/पदों की डीपीसी हेतु अनुभव/सेवा अवधि के अनुभव में शिथिलन की आवश्यकता नहीं है, ऐसे सभी संवर्गो/पदों हेतु डीपीसी बैठक आयोजित कर पदोन्नति संबंधी कार्यवाही किया जाना सुनिश्चित करावें। शेष जिन पदों हेतु अनुभव में शिथिलन की आवश्यकता है, उन पदों हेतु डीपीसी, बजट घोषणा के क्रम में नियमों में प्रावधान किये जाने के उपरांत आयोजित की जायेगी।

संलग्न : वरिष्ठता सूची प्रारूप।

(डॉ. कृष्णा कांत पाठक)
शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:—

1. प्रमुख सचिव, मा0 मुख्यमंत्री, राजस्थान।
2. वरिष्ठ उप सचिव, मुख्य सचिव, राजस्थान।
3. सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर।

शासन सचिव

Signature valid
Digitally signed by Krishna Kant Pathak
Designation : Secretary To Government
Date: 2025.04.04 17:00:20 IST
Reason: Approved

15/2025

वरिष्ठता सूची का प्रारूप

क्रं.सं.	कार्मिक पहचान संख्या (Employee ID)	कार्मिक का नाम	वर्ग	जन्म तिथि	चयन वर्ष	योग्यता	विशेष विवरण
1	2	3	4	5	6	7	8

Signature valid

Digitally signed by Krishna Kant Pathak
Designation : Secretary To Government
Date: 2025.04.04 17:0?:20 IST
Reason: Approved

15/2025

RajKaj Ref No.: 14618336